न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी:– उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.

अपील सं. 13/2020

अमरजीत कौर पत्नि स्व0 बलदेव सिंह निवासी 11 ए0एस0 तह0 विजयनगर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

अपीलांट

बनाम

1. मनीराम पुत्र स्व0 हरिचंद निवासी वार्ड नं0 14, तलवाड़ा झील तह0 टिब्बी जिला हनुमानगढ
2. नायब तहसीलदार तलवाड़ा झील तह0 टिब्बी जिला हनुमानगढ

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध नामांतरण सं0 1062 आदेश दिनांक 26.12.2018 न्यायालय नायब तहसीलदार (राजस्व) तलवाड़ा झील तह0 टिब्बी जिसके द्वारा नामान्तरण सं0 117 अपीलांट की कृषि भूमि का नामांतरण रेस्पोडेन्ट सं0 1 के नाम दर्ज करने के पारित किये गये, आदेश को अपास्त करने एवं अपील अपीलांट स्वीकृत करने बाबत।

अपर जिला कलक्टर ★ हनुमानगढ़ (राज0) ★

उपस्थित:– 1. श्री राजेशदीप राय अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री रमेश कुमार वर्मा अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 01
3. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अभिभाषक।

–:निर्णय:–

दिनांक: –22.05.2024

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट के पति बलदेव सिंह ने तहसील टिब्बी के चक 1 टी0एल0डब्ल्यू(ए) के प0नं0 246/293 (20) किला नं0 17,18,22 ता 24, प0नं0 246/294 (28) किला नं0 3,4,7,8,9,13,14 कुल 3.036 है0 कृषि भूमि जरिये इकरानामा मनीराम व बीझा से खरीद किया तथा उक्त भूमि कस्टोडियन भूमि थी। इस कारण सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी के समक्ष उक्त भूमि के नियमन हेतु बलदेव सिंह ने प्रार्थना पत्र पेश किया। जो स्वीकार कर उपरोक्त भूमि का नियमन करने का आदेश दिनांक 07.05.2012 को पारित किया तथा नियमन आदेश के आधार पर नामान्तरण दर्ज हो गया। तत्पश्चात मनीराम ने उक्त आदेश के विरूद्ध मा0 राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के समक्ष अपील पेश की। मा0 राजस्व अपील अधिकारी ने दिनांक 03.08.2018 को मनीराम की उक्त अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का पारित आदेश अपास्त कर मनीराम को पुनः सुनवाई करने का आदेश देते हुए मामला सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ को रिमांड किया। बलदेव सिंह फौत हो गया था। जिसके जायज व कानूनी वारिसान अपीलांट व उसकी दो पुत्रियां, बींझा, रानी व एक पुत्र बिन्द्र सिंह है। निर्णय दिनांक 03.08.2018 के विरूद्ध अमरजीत कौर ने मा0 राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष अपील/एलआर/सं0 6155/2018 अनवानी "अमरजीत कौर बनाम मनीराम आदि" अपील प्रस्तुत की। उक्त अपील में दिनांक 21.08.2018 को मा0 राजस्व मण्डल अजमेर ने दिनांक 03.08.2018 की पालना के प्रभाव को आगामी नियत आगामी पेशी तक स्थगित करने के आदेश पारित किये। उक्त स्थगन आदेश प्रभावी है, जिसकी एक प्रति रेस्पोडेंट सं0 02 को दी गई। लेकिन रेस्पोडेंट सं0 02 ने दिनांक 26.12.2018 को एकपक्षीय नामान्तरण रेस्पोडेंट सं0 01 के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.05.23 17:07:56 IST
Reason: SelfAttested

30/5
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

आदेश दिनांक 26.12.2018 से अपीलांट विपरीत रूप से प्रभावित है। रेस्पोडेंट सं0 01 ने रेस्पोडेंट सं0 02 के समक्ष अपीलांट को जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया। प्रश्नगत भूमि अपीलांट के पति की जरिये इकरारनामा खरीदशुदा है तथा इस संबध मे मा0 राजस्व मण्डल अजमेर का स्थगन भी जारी है। लेकिन रेस्पोडेंट सं0 02 ने अपीलांट को बिना सुने प्रश्नगत भूमि का नामान्तरण रेस्पोडंट सं0 01 के नाम दर्ज करने के आदेश दिये है। जिससे अपीलांट विपरीत रूप से प्रभावित है तथा बतौर तृतीय पक्षकार उपरोक्त अपील प्रस्तुत कर रही है। जिसके लिए पृथक से धारा 96 जाब्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र संलग्न है। रेस्पोडेंट सं0 02 द्वारा पारित नामांतरण आदेश दिनांक 26.12.18 से अपीलांट विपरित रूप से प्रभावित है तथा अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत कर रही है:–

रेस्पोडेंट सं0 02 ने आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया। रेस्पोडेंट सं0 01 ने जानबूझकर अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया। आक्षेपित आदेश अपीलांट की पीठ के पीछे एकपक्षीय रूप से आक्षेपित आदेश पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण काबिले खारिजी है। रेस्पोडेंट सं0 02 को प्रश्नगत नामान्तरण दर्ज करने की कोई अधिकारिता नहीं थी। अपीलांट के पति बलदेव सिंह के नाम नामान्तरण सक्षम न्यायालय के आदेश के जरिये दर्ज हुआ था। मा0 राजस्व अपील अधिकारी ने मामला मात्र रिमांड किया था तथा रेस्पोडेंट सं0 02 को ही सीधा ही नामान्तरण दर्ज करने की अधिकारिता नहीं थी। आक्षेपित आदेश दिनांक 03.08.2018 के अनुसरण में दर्ज किया गया है, जबकि आदेश दिनांक 03.08.2018 मा0 राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निगरानी सं0 6155/2018 अनवानी "अमरजीत कौर बनाम मनीराम" दिनांक 21.08.2018 के जरिये स्थगित किया जा चुका है। उक्त आदेश के प्रभाव में रहते रेस्पोडेंट को नामान्तरण दर्ज करने की अधिकारिता नहीं थी। लेकिन रेस्पोडेंट सं0 02 ने कानून को ताक पर रखकर विधि विरूद्ध रूप से नामान्तरण दर्ज किया है जो अपास्त होने योग्य है। राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित स्थगन आदेश की प्रति रेस्पोडेंट सं0 02 को दी गई। लेकिन रेस्पोडेंट सं0 02 ने दिनांक 22.11.2018 के पश्चात के स्थगन के संबंध मे पटवारी हल्का से रिपोर्ट चाही तब पटवारी हल्का ने दिनांक 21.11.2018 के पश्चात के स्थगन आदेश की प्रति न होने के कथन किये तथा इस आधार पर नामान्तरण दर्ज कर दिया जो कतई गलत है। अपीलांट ने दिनांक 21.08.2018 के आदेश की प्रति पेश कर दी थी। इसके पश्चात स्थगन आदेश खारिज होता है तो उसकी प्रति रेस्पोडेंट प्रस्तुत करता, लेकिन उन्होने ऐसी कोई प्रति पेश नहीं की। वस्तुतः आदेश दिनांक 21.08.18 खारिज नहीं हुआ था। रेस्पो0 02 व उनके अधीनस्थ व पटवारी व गिरदावर ने मा0 राजस्व मण्डल के आदेश की खुल्लम खुल्ला अवहेलना करते हुए रेस्पोडेंट सं0 01 को नाजायज लाभ देने के उदेश्य से अभिकथित रिपोर्ट कर नामान्तरण दर्ज किया है, जो अपास्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट सं0 02 के समक्ष अपीलांट पक्षकार नहीं था। आक्षेपित आदेश अपीलांट की पीठ के पीछे पारित किया गया है। उक्त आदेश पारित होने के पश्चात रेस्पोडेंट सं0 01 ने उक्त प्रश्नगत भूमि को पटवारी हल्का व नायब तहसीलदार से मिलीभगत कर बैंक के रहन भी करवा ली तथा दिनांक 15.10.2020 का प्रश्नगत भूमि पर आया व अपीलांट को धमकी दी कि उपरोक्त भूमि उसके नाम से है, इसलिए उक्त भूमि में खडी फसल को काटकर कब्जा उसे सौंप देवे अन्यथा वह जबरदस्ती उपरोक्त भूमि का कब्जा प्राप्त करेगा। तब अपीलांट ने तहसील ने इसकी जांच करवाई तो अपीलांट को आक्षेपित नामान्तरण दर्ज होने का ज्ञान हुआ [illegible] 2020 को प्राप्त कर अविलम्ब उक्त अपील पेश की जा रही है तथा अपील [illegible] को माफ करने के लए अलग से प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद [illegible] अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपील अपीलांट स्वीकार [illegible] रेस्पोडेंट सं0 02 नायब तहसीलदार तलवाड़ा झील द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 26.12.2018 नामान्तरण सं0 1062 अपास्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टान की तलबी की गयी। रेस्पोडेन्ट सं0 01 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। रेस्पोडेन्ट 02 की ओर से राजकीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.05.23 17:07:56 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

अभिभाषक उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन रिकार्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील के अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रश्नगत भूमि अपीलांट के पति की जरिये इकरारनामा खरीदशुदा है तथा इस संबंध में मा0 राजस्व मण्डल अजमेर का स्थगन भी जारी है। लेकिन रेस्पोडेंट सं0 02 ने अपीलांट को बिना सुने प्रश्नगत भूमि का नामान्तरण रेस्पोडट सं0 01 के नाम दर्ज करने के आदेश दिये है। अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेंट सं0 02 नायब तहसीलदार तलवाडा झील द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 26.12.2018 नामान्तरण सं0 1062 अपास्त फरमाया जाने का निवेदन किया गया। बहस के समर्थन में RLW 2011 (2) RJ 1325 (Board for Revenue for Rajasthan) पेश किया।

रेस्पोडेन्ट सं0 01 ने अपनी बहस में कथन किये कि अपीलांट के पति बलदेव सिंह ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि चक 1 टी0एल0डब्ल्यू(ए) के प0नं0 246/293 (20) किला न0 17,18,22 ता 24, प0नं0 246/294 (28) किला नं0 3,4,7,8,9,13,14 कुल 3.036 है0 कृषि भूमि जरिये इकरानामा खरीद करना दर्शित करते हुए उक्त भूमि पर अपना कब्जा बताते हुए भूमि की सनद जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसे सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी द्वारा दिनांक 07.05.12 को स्वीकार किया जाकर नियमन आदेश जारी किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट सं0 01 एवं बीझां देवी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के समक्ष अपील सं0 59/2012/75 एवं अपील सं0 171/2012/75 प्रस्तुत की गयी। मा0 राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 03.08.2018 द्वारा उक्त दोनों अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के नियमन आदेश दिनांक 07.05.12 को निरस्त किया जाकर प्रकरण सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी को रिमाण्ड किया गया।

मा0 राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 03.08.2018 के अनुसरण में सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी द्वारा तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी एव नायब तहसीलदार तलवाड़ा को अपने पत्रांक राजस्व/841 दिनांक 16.08.2018 द्वार निर्देशित किया गया कि मा0 राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 03.08.2018 के अनुसरण में पालना सुनिश्चित की जाकर अदालत हाजा को अवगत करवाये। उक्त मूल पत्र को उपतहसीलदार तलवाड़ा द्वारा अपने पत्रांक 18/1365 दिनांक 20.08.2018 के द्वारा हल्का पटवारी तलवाड़ा झील को भेजा गया। जिसकी पालना में अपीलाधीन नामान्तरण पारित किया गया। इस प्रकार से अपीलाधीन नामान्तरण राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 03.08.18 की पालना में किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मीमों के अवलोकन से भी यह पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि अपीलाधीन नामान्तरण मा0 राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 03.08.2018 की पालना में किया गया है। नायब तहसीलदार टिब्बी के समक्ष माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 03.08.2018 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत निगरानी संख्या 6155 / 2018 बअनवानी अमरजीत कौर बनाम मनीराम में दिनांक 21.08.2018 को पारित आगामी तारीख पेशी तक स्थगन आदेश की प्रति पेश की आगामी तारीख पेशी के पश्चात स्थगन आदेश प्रस्तुत नहीं किये जाने पर नायब तहसीलदार तलवाड़ा झील द्वारा अपीलाधीन नामान्तरण तस्दीक किया गया। नायब तहसीलदार टिब्बी द्वारा अपीलाधीन नामातरण के कॉलम सं0 14 में राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 03.08.2018 का अंकन करते हुए नामातरण दर्ज किया गया है। अपीलांट द्वारा अपने अपील मिमो में माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 03.08.2018 की पालना में अपीलाधीन नामान्तरण दर्ज किये जाने बाबत दर्ज किया है। अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 03.08.2018 की पालना में दर्ज नामातरण के विरूद्ध पेश की गयी है, जबकि उक्त नामातरण के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती क्योकि अपील मूल आज्ञा के विरूद्ध ही प्रस्तुत की जाती है। इस प्रकरण में सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी टिब्बी द्वारा पारित नियम आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.05.23 17:07:56 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ

दिनांक 07.05.2012 मूल आज्ञा के विरूद्व माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के समक्ष उपरोक्त वर्णित दो अपीलें प्रस्तुत की गई तथा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा उक्त दोनों अपीलों मे पारित निर्णय दिनाक 03.08.2018 जो कि मूल आज्ञा है के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जो जैरकार है। तहसीलदार / नायब तहसीलदार द्वारा विरास्तन, त्याग-पत्र, विक्रय-पत्र के आधार पर पाति नामान्तरण की ही अपील प्रस्तुत की जा सकती है। तहसीलदार / नायब तहसीलदार द्वारा अपने से उच्च न्यायालय / अधिकारी के आदेश की पालना में दर्ज नामान्तरण की अपील किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। अपीलांट ने अपीलाधीन नामान्तरण से प्रभावित सभी पक्षकारान को पक्षकारान भी नहीं बनाया है तथा अपील अपीलांट पूर्ण रूप से मियाद बाहर भी है। अपीलाधीन नामान्तरण राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 03.08.2018 की पालना में दर्ज किया गया है, जिसके विरूद्ध किसी भी न्यायालय में अपील प्रस्तुत किये जाने एवं चलने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे। बहस के समर्थन में 2020 (2)CJ (Civ.) (SC) Bansidhar Sharma Vs State of Raj- Page no- 671, Civil Appeal no- 8400 of 2019; decided on 5th NOV 2019 न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किये कि हल्का पटवारी द्वारा उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के आदेश का राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा निरस्त करने पर नामान्तकरण दर्ज कर रेस्पोडेन्ट सं0 02 के पास स्वीकृति हेतु दिनांक 21.12.2018 को किया गया जिस पर रेस्पोडेन्ट सं0 02 ने राजस्व अपील. प्राधिकारी के आदेश पर स्थगन प्रभावी है या नहीं है कि रिपोर्ट प्राप्त की गयी। जिसके उपरान्त उक्त नामन्तकरण को स्वीकृत किया गया। उपखण्ड अधिकारी के आदेश को मा0 राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा निरस्त करने के आदेश के साथ हल्का पटवारी उक्त नामान्तकरण सं0 1062 दिनांक 26.1218 दर्ज कर स्वीकृत करवाने हेतु आया। जिस पर रेस्पोडेन्ट सं0 02 द्वारा हल्का से स्थगन आदेश बाबत रिपोर्ट प्राप्त की गई। रिपोर्ट में स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होने की जानकारी हल्का पटवारी द्वारा की गई, जिस पर रेस्पो0 सं0 02 नामान्तकरण को स्वीकृत किया गया। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जायी।

उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम दफा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट के विलंब का कारण तथा इसके संबंध में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। न्यायहित में अपीलांट का दफा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अन्दर मियाद ग्रहण की जाती है। पत्रावली अवलोकन में पाया कि-

1. राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 03.08.2018 से उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के आदेश को निरस्त प्रकरण रिमाण्ड किया गया। उपखण्ड अधिकारी टिब्बी ने आदेश क्रमांक 841 दिनांक 20.08.2018 द्वारा नायब तहसीलदार तलवाड़ा तह0 टिब्बी को लिखा गया कि यदि कोई अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 03.08.2018 की नियमानुसार पालना की जाये। जिसकी पालना में नायब तहसीलदार तलवाड़ा तह0 टिब्बी द्वारा नामांतरण सं0 1062 आदेश दिनांक 26.12.2018 दर्ज किया गया। परन्तु राजस्व अपील प्राधिकारी का आदेश दिनांक 03.08.2018 मा0 राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निगरानी सं0 6155/2018 अनवानी "अमरजीत कौर बनाम मनीराम" दिनांक 21.08.2018 के जरिये स्थगित किया गया था। स्थगन के बावजूद नायब तहसीलदार तलवाड़ा तह0 टिब्बी द्वारा नामांतरण सं0 1062 आदेश दिनांक 26.12.2018 दर्ज किया गया जो विधि विरूद्ध है।
2. इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किये गये हैं। RLW 2011 (2) RJ 1325 (Board for Revenue for Rajasthan) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 धारा 135 द् नामान्तरकरण तस्दीक करना जब नियमित वाद लम्बित हो - पक्षकार वसीयत, गोद विलेख एवं विक्रय विलेख के आधार पर विवादित भूमि में अधिकार एवं हित का दावा कर रहे है - वर्ष 1999 में इस विषय में दायर नियमित वाद लम्बित है आक्षेपित नामान्तरकरण उस समय किया गया जब अन्तरिम स्थगन

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.05.23 17:07:56 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

आदेश लागू था – अभिनिर्धारित – जब कोई नियमित राजस्व वाद सक्षम न्यायालय के समक्ष न्याय निर्णयार्थ लम्बित हो तो नामान्तरकरण की कार्यवाही तब तक लम्बित रखी जानी चाहिये जब तक कि उस वाद का निर्णय नहीं हो जाता अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने सभी नामान्तरकरणों को अभिखण्डित करने में कोई अवैधानिकता या अधिकारिता सम्बन्धी त्रुटि नहीं की। पुनरीक्षण याचिकाएं खारिज की।

3. मेरी विनम्र राय में प्रकरण के रिमाण्ड होने पर यदि स्थगन आदेश नहीं भी होता तो भी नामान्तकरण कार्यवाही करना विधिसम्मत नहीं है, वो भी जब प्रकरण मा0 न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन था। नामान्तकरण कार्यवाही के स्थान पर जमाबंदी नोट लगाया जाना चाहिये था, किन्तु ऐसा नहीं किया। ऐसी स्थिति में विधि विरूद्ध नामान्तकरण कार्यवाही का समर्थन नहीं किया जा सकता है।

उक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। नायब तहसीलदार (राजस्व) तलवाड़ा झील तह0 टिब्बी के नामांतरण सं0 1062 आदेश दिनांक 26.12.2018 विधि अनुसार नहीं होने के कारण अपास्त किया जाकर प्रकरण नायब तहसीलदार (राजस्व) तलवाड़ा झील तह0 टिब्बी को इस निर्देश के साथ प्रेतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि प्रकरण में विधि अनुसार पुनः समुचित निर्णय पारित करें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज0)

22/5/2024

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.05.23 17:07:56 IST
Reason: SelfAttested